

कार्यालय— न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जशपुर, जिला— जशपुर (छ0ग0)

—::आदेश::—

क्रमांक— 06/दो-11-2/2021,

जशपुर, दिनांक 05.05.2025

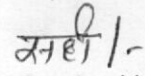
अध्यक्ष, चयन समिति, कुटुम्ब न्यायालय जशपुर का पत्र क्रमांक Q/दो-12-3/2024 दिनांक 29.04.2025 के अनुशंसा के आधार पर आकस्मिकता निधि के (कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले) कर्मचारी वाटरमेन/चौकीदार के परिमार्जित विज्ञापित पद पर तालिका में दर्शित निम्नांकित अभ्यर्थियों को कलेक्टर द्वारा समय-समय निर्धारित वेतन पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ क्रमांक 7 में दर्शित पद पर पूर्णतः अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	परीक्षार्थी के पिता/पति का नाम	वर्ग	परीक्षार्थी का पत्र व्यवहार का वर्तमान पता/स्थायी पता	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	122	श्री ताजदार सिद्धकी	मो0 मोकतार सिद्धकी	अ.पि.वर्ग.	ग्राम+पो0—सन्ना, तह0—सन्ना, जिला— जशपुर (छ0ग0)	वाटरमेन
2	142	श्रीमती कचरा कंवर	राघवेन्द्र सिंह	अ.ज.जा.	नेहरू नगर वार्ड नं.-1 छिरा, पो0— कटघोरा, जिला—कोरबा (छ0ग0)	चौकीदार

नियुक्ति की शर्त :-

1. नियुक्त अभ्यर्थी आवश्यक रूप से अपनी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति अवलोकनार्थ मूल प्रति कार्यभार ग्रहण करते समय लेकर आयेगें। दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात भी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
2. नियुक्त अभ्यर्थी जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उपयुक्तता प्रमाण पत्र तत्परता से पेश करना होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
3. नियुक्ति के समय पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्ति कर 03 प्रतियों में शपथपत्र सहित पेश करेंगे। यदि चरित्र सत्यापन में सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
4. यदि शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो एक माह पूर्व सूचना इस कार्यालय को देनी होगी अथवा एक माह का वेतन एवं उस पर देय सभी भत्ते इस कार्यालय में जमा करना होगा।
5. नियुक्ता की पूर्व अनुमति के बिना आगे शिक्षा जारी नहीं रख सकेगा एवं पूर्व अनुमति के अन्यत्र नौकरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

6. उक्त नियुक्ति आरक्षण के संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पीटिशन क्रमांक (सी) 591/2012 तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में पारित आदेश क्रमांक 19.09.2022 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश/निर्णयों अध्याधीन होगा।
7. अभ्यर्थी की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं। भविष्य में कार्य अथवा आचरण के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर बिना कोई कारण बताये तत्काल सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थी को दिनांक 20.05.2025 तक नियुक्त किये गये पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।


(राकेश बिहारी घोरे)

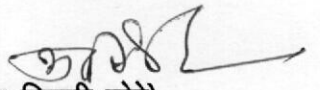
न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय
जशपुर (छ0ग0)

जशपुर, दिनांक 05.05.2025

पृष्ठां. क्र. 256/दो-11-2/2021,

प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की ओर पृष्ठां. क्रमांक 10315/तीन-18-27/2024 डी.ई. बिलासपुर, दिनांक 04.07.2024 के आलोक में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. श्री ताजदार सिद्धकी पिता मो० मोकतार सिद्धकी, पत्र व्यवहार का पता- ग्राम+ पो०- सन्ना, तह०- सन्ना, जिला- जशपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
3. श्रीमती कचरा कंवर पति राघवेन्द्र सिंह, पत्र व्यवहार का पता- नेहरू नगर वार्ड नं.-1 छिर्रा, पो०- कटघोरा, जिला-कोरबा (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
4. लेखापाल, कार्यालय-न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जशपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर की ओर जिला न्यायालय के वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।


(राकेश बिहारी घोरे)
न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय
जशपुर (छ0ग0)
05.05.2025